भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 474*

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत उपलब्धियां

***474. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः**
श्री बलवंत बसवंत वानखडेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत अब तक प्राप्त प्रमुख उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा यह योजना कब शुरू की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि देश के कई शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन और मल-जल निकासी व्यवस्था की स्थिति अभी भी खराब है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार देश के सभी नगर निकायों को स्वच्छता के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता किस प्रकार सुनिश्चित करती है;

(घ) क्या सरकार के पास देश के शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई कार्यनीति है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"स्वच्छ भारत मिशन- शहरी के अंतर्गत उपलब्धियां" के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने हेतु तारांकित प्रश्न संख्या 474 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): देश के शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाने और देश के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) की शुरुआत की थी। इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, एसबीएम-यू 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को पांच साल की अवधि के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य 100% स्रोत पृथक्करण, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान सहित कचरे के सभी अंशों का वैज्ञानिक प्रबंधन और सभी पुराने डंपसाइटों का निपटान करके सभी शहरों में कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में मल कीचड़ और सेप्टेज के समग्र रूप से निपटान के लिए एसबीएम-यू 2.0 के तहत प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) भी एक नया घटक है।

अक्टूबर, 2019 में 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी शहरी स्थानीय निकाय खुले में शौच से मुक्त हो गए। यह लक्ष्य 63.75 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) इकाइयों के निर्माण के साथ हासिल किया गया है, जो मिशन लक्ष्य 58.99 लाख (108.06%) से अधिक है और 5.07 लाख (125.44%) मिशन लक्ष्य की तुलना में 6.36 लाख सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी) सीटों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वच्छतम पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कुल 1,61,157 टन (टीपीडी) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से 1,29,708 टीपीडी प्रसंस्कृत किया जाता है अर्थात् 2014 में 16% अपशिष्ट प्रसंस्करण की तुलना में, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ), स्थानांतरण स्टेशन, खाद संयंत्र, निर्माण और विध्वंस (ग एवं घ) और अपशिष्ट से बिजली सहित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, जैव-मीथेनेशन संयंत्र आदि जैसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना से वर्तमान प्रसंस्करण क्षमता 80.49% तक बढ़ गई है। अब तक 7766 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने एसबीएम-यू 2.0 के एसडब्लूएम घटक के तहत 10,930.12 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से 8,662.28 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से वाली परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1999.96 करोड़ रुपये का दावा किया गया है। राज्य-वार अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का ब्यौरा वेबसाइट https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess पर उपलब्ध हैं।

500 शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 25 जून, 2015 को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया है। शहरों को '**आत्मनिर्भर**' और '**जल सुरक्षित**' बनाने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 शुरू किया गया है। अमृत 2.0 जलापूर्ति में सार्वभौमिक कवरेज को देश के 500 शहरों से सभी सांविधिक कस्बों तक बढ़ाकर जीवन को आसान बनाएगा।

(ग): एसबीएम-यू के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई मांग के आधार पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्से की निधि जारी की जाती है, जो राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित पूर्ण प्रस्तावों के रूप में होती है, जिन्हें संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा उनकी कार्य-योजना के अनुसार यूएलबी को प्रेषित किया जाता है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों और प्रयुक्त जल प्रबंधन संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एसएचपीसी) द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत के अधिकतम 30% के अधीन पूरक वित्त पोषण के 50% तक केंद्रीय सहायता/अनुदान सहायता राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाती है।

एसबीएम-यू के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार के नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों की स्थापना और प्रयुक्त जल प्रबंधन परियोजनाओं आदि के लिए केंद्रीय हिस्से की सहायता (सीएस) दी जा चुकी है। एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0 के लिए बजट प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

एसबीएम चरण	बजट परिव्यय	केंद्रीय हिस्सा
एसबीएम-यू (2014-2021)	62,009	14,623
एसबीएम-यू 2.0 (2021-2026)	1,41,600	36,465

अमृत के तहत सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र के अंतर्गत 34,501 करोड़ रुपये की लागत वाली 889 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं, जिनमें से 32,175 करोड़ रुपये के कार्य वास्तविक रूप से निष्पादित किए जा चुके हैं। अमृत 2.0 के तहत सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र में अब तक 67,649 करोड़ रुपये की लागत वाली 592 परियोजनाएं, जिनमें 6,739 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता का निर्माण/संवर्धन और 2,089 एमएलडी पुनःचक्रण/पुनः उपयोग शामिल है।

(घ) और (ङ): शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए राज्यों/यूएलबी के प्रयासों में सहायता करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर मैनुअल/मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) साझा करके, नीति निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को चुनने के लिए समय-समय पर विभिन्न परामर्श और दिशानिर्देश जारी करता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श/दिशानिर्देश/एसओपी https://sbmurban.org/technical-advisories पर उपलब्ध हैं ।

*****